न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1507–पीबीआर/2007 विरूध्द आदेश दिनांक 18–07–06 पारित अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 569/अ–6/04–05 अपील.

1– श्रीमती रेवाबाई पटेल पत्नि स्व. लक्ष्मण पटेल
2– कल्लू पटेल पिता स्व. लक्ष्मण पटेल
3– वीरभान आत्मज दद्दू काछी (मृत)
वरिसान–
1– ओमप्रकाश पटेल आत्मज स्व. वीरभान
2– महेश आत्मज स्व. वीरभान पटेल
3– कु. वर्षारानी पुत्री स्व. वीरभान पटेल
4– कु. रेश्मा पटेल पुत्री स्व. वीरभान पटेल
समस्त निवासी ग्राम उजारपुरवा जबलपुर
5– श्रीमती सुस्मा पटेल पत्नी गोपाल पटेल
नि0 गढ़ा, जबलपुर
6– श्रीमती माधुरी पटेल पत्नी खंजाची पटेल
नि0 व्हीकल स्टेट, रांझी, जबलपुर
7– श्रीमती कामनी पटेल पत्नि ओंकार पटेल,
नि0 ग्राम सरई, जबलपुर
4– श्रीमती रज्जोबाई पत्नि रामलाल पटेल,
नि0 गेट नं0–4, साईबाबा मंदिर के पीछे,जबलपुर ––– आवेदकगण

विरूध्द

1– शीतलपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0
जबलपुर व्दारा सचिव जहीर अंसारी आत्मज
स्व. एम.ए.अंसारी, नि0 4–5, प्रेस काम्पलेक्स,
सिविक सेंटर, जबलपुर
2– श्रीमती सोनाबाई पत्नी स्व. मोहन पटेल (मृत)
विधिक उत्तराधिकारी पुत्र गुड्डू काछी आत्मज
मोहन काछी, नि0 उजारपुरवा उखरी रोड,
विवेकानंद वार्ड, जबलपुर ––– अनावेदकगण

श्री ओमप्रकाश पटेल, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री दिनेश परिहार, अभिभाषक– अनावेदक क0–1

आदेश

(आज दिनांक १०जुलाई, .2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण कमांक 569/अ–6/04–05 में पारित आदेश दिनांक 18–07–06 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक समिति व्दारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत मौजा जबलपुर ग्राम उजारपुरवा स्थित प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाये जाने हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03–12–03 व्दारा आदेश पारित कर कब्जा वापिस दिलाये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 05–05–05 व्दारा खारिज की। व्दितीय अपील विव्दान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 18–07–06 व्दारा खारिज की। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। निगरानी में आवेदक व्दारा यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा पिछले 50 वर्षों से है। अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 ने अपने निर्णय दिनांक 29–08–02 में आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा 50 वर्षों से होना माना है। व्यवहार वाद के निर्णय के विरूध्द अपील प्रस्तुत करने पर अपर जिला न्यायाधीश, जबलपुर ने आवेदकगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पारित की है। संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र बेदखली के दिनांक से 2 वर्ष के अन्दर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा पिछले 50 वर्षों से है, इसलिये संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा वापिसी के आदेश देने में

अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा त्रुटि की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क0–1 के अभिभाषक का तर्क है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा तथ्य के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष निकाले हैं, इसलिये तथ्य संबंधी निष्कर्षों में निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि आवेदकगण व्दारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया था, किन्तु व्यवहार न्यायालय व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कोई स्वत्व मान्य नहीं किया है और विधि के उपकम में आवेदकगण को बेदखल किया जा सकता है, यह निष्कर्ष निकाला गया है। अनावेदक व्दारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के 2 वर्ष के भीतर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो निर्धारित समयावधि के अन्दर है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अष्टम व्यवहार न्यायालय वर्ग–1 जबलपुर के व्यवहार वाद कमांक 5–ए/2001 निर्णय दिनांक 29–08–02 के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर मालगुजारी प्रथा समाप्त हो जाने तथा 80 वर्ष से काबिज होने के कारण विरोधी आधिपत्य के अनुसार भूमिस्वामी एवं मालिक हो जाने से आधिपत्य में हस्तक्षेप नहीं करने संबंधी वाद प्रस्तुत किया गया था। व्यवहार न्यायालय ने विरोधी आधिपत्य के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व प्राप्त होना, सिध्द नहीं होने से आवेदकगण का वाद सव्यय निरस्त किया गया। व्यवहार न्यायालय ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष अवश्य निकाला है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का आधिपत्य 50 वर्षों से है, किन्तु उन्होंने अपने आदेश की कण्डिका 27 में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिवादी (इस प्रकरण में अनावेदक क0–1) वादी (इस प्रकरण में आवेदकगण) को बिना विधि की सम्यक प्रकिया के बेदखल नहीं कर सकते। उक्त व्यवहार वाद के विरूध्द एकादश अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर के समक्ष सिविल अपील क0

12ए/04 प्रस्तुत करने पर अपर जिला न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 31–03–05 में यही निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर स्वत्व घोषणा संबंधी आपत्तियॉ सारहीन होने से इस संबंध में वादी को कोई सहायता पाने का अधिकार नहीं है। अपील में विव्दान अपर जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश की कण्डिका 37 में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 'वादी का प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर आधिपत्य है। अतः प्रतिवादी विधिक प्रकिया का प्रयोग किये बिना वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही उसे बेदखल कर सकता है।' अतः अपीलीय न्यायालय व्दारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की है। इससे स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कोई स्वत्व नहीं होना निर्धारित किया है और उसे विधिक प्रकिया का प्रयोग किये बिना बेदखल नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अनावेदक क0–1 समिति व्दारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के 2 वर्ष के भीतर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा तहसील न्यायालय व्दारा विधिवत सुनवायी के पश्चात संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आदेश पारित किये गये हैं जिन्हें दोनों अपीलीय न्यायालयों व्दारा स्थिर रखा गया है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी का आवेदनपत्र खारिज किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 18–07–06 तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाते हैं।

(एम0क0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर.